दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15. 12.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कुमार सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 शैलजा सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
4.	प्रो0 शोभा गौंड़	सदस्य
5.	प्रो0 चन्द्रशेखर	सदस्य
6.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
7.	डा0 रजीउर रहमान	सदस्य
8.	डा0 मधु सत्यदेव	सदस्य
9.	डा0 धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
10.	डा0 मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डा0 अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
12.	डा0 स्वंय प्रकाश लाल	सदस्य
13.	श्री बीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
14.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया। इस बैठक के बिन्दु संख्या–25, जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर पुनर्परीक्षण हेतु कलपति जी को अधिकृत किया गया था, इस पर कुलपति जी ने अवगत कराया कि पूर्व निर्गत आदेश सं0 645 / कुलपति / 2017 दिनांक 09 / 11 फरवरी, 2017 का एवं पत्रावली का उन्होने परीक्षण कर लिया हैं और वह उससे सहमत हैं। तदक्रम में विचारोपरान्त सन्दर्भित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी।**

3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या– 4 को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया– बिन्दु संख्या– 4 में ''परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा'', के आगे निम्नलिखित को जोड़ते हुए पढ़ा जाय– ''परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा'', अर्थात् उपर्युक्त परन्तुक में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, डॉ0 बी0सी0 रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नालेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न सम्मिलित रहेंगे''।
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
7.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 के कार्यवृत्त की संम्पुष्टि पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
8.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 मे लिये गये निर्णय के कियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
9.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
10.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 18.5.2016 के बिन्दु संख्या– 02 द्वारा लिये गये निर्णय के

	अनुपालन में डॉ0 परमहंस पाठक की उपाचार्य पद पर दिनांक 08.08.2013 को की गयी प्रोन्नति कार्यवाही पर विचार करने के लिए राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देश पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में रिसर्च एसोसिएट की सेवा जोड़े जाने से सम्बन्धी परिनियम तैयार कर माननीय महामहिम को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय। मा0 कुलाधिपति से स्वीकृति होने के उपरान्त इस सन्दर्भ मे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।**
11.	कार्यालय आदेश संख्या 10607/सा0प्र0/2017 दिनांक 30.08.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए नियन्ता पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
12.	कार्यालय आदेश संख्या 10788/सा0प्र0/2017 दिनांक 14.10.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग का स्वामी विवेकानन्द छात्रावास के अभिरक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
13.	कार्यालय आदेश संख्या 10768/सा0प्र0/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 अनुराग द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग की नाथ चन्द्रावत छात्रावास के अधीक्षक पद पर दिनांक 22.08.2017 से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए अवधि विस्तार सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
14.	कार्यालय आदेश सं0 10648/साप्र0/2017 दिनांक 16.09.2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 28.08.2017 के अनुपालन में डा0 लक्ष्मी सुमन, चिकित्साधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
15.	कार्यालय आदेश संख्या 10989/सा0प्र0/2017 दिनांक 01.12..2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 सुषमा पाण्डेय, आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को दिनांक 02.12.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
16.	कार्य परिषद् ने श्री सरस्वती चतुर्वेदी, डाटा इन्ट्री आपरेटर, सामान्य प्रशासन अनुभाग के आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2017, जो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति सम्बन्धी है, पर विचार किया। **कार्यपरिषद ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सरस्वती चतुर्वेदी,** डाटा इन्ट्री आपरेटर, सामान्य प्रशासन अनुभाग स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध शासनादेश में दी गयीं व्यवस्था के अनुरुप अर्हता को पूरी नही करते हैं। अतः श्री चतुर्वेदी को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता।

17.	कार्यपरिषद ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक : 10.12.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 10.12.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
18.	कार्य परिषद ने डॉ0 यशवन्त सिंह, एसोसिएट प्रोफोसर वनस्पति विज्ञान विभाग का CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु की गयी Selection Committee की संस्तुति का लिफाफा कार्यपरिषद के समक्ष खोले जाने हेतु विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि यदि डॉ0 यशवन्त सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति का आवेदन करते है, तो नियमानुसार उनके आवेदन पर विचार किया जाय।**
19.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3/2017/730/सत्तर–1–2017–16(56)/2016 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 पर सम्यक् विचार किया और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा–6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासन के निर्णय को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24 तथा 16.15 में निम्नलिखित के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया– "परन्तुक अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा", अर्थात् उपर्युक्त परन्तु में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, डॉ0 बी0सी0 रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नालेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न को सम्मिलित रहेंगे " पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि यदि किसी शिक्षक को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उपरोक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसकी 2 वर्ष की सेवा विस्तार के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भित कर दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिया जाय।**

20.	**कार्यपरिषद ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया–**	
	1.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्याः 1101/साप्र/2017 दिनांक 13.12.2017 द्वारा श्री संजय बाजपेयी पुत्र स्व0 वी0बी0 बाजपेयी, प्रचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में स्थापित राहुल सांस्कृत्यायन पीठ में सृजित पद के सापेक्ष कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित किये जाने के संम्बधी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
	2.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्याः 1102/साप्र0/2017 दिनांक 13.12.2017 द्वारा निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
	3.	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दू संख्या 43 पर कर्मचारी संघ के

		बगल में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित ""अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ"" के नाम पर निर्मित भवन का नाम "" उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ"" करने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। मा0 कुलपति जी द्वारा प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा (संयोजक) एवं प्रो0 रविशंकर सिंह (सदस्य) की दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा दी गयी आख्या पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" भवन का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ भवन" करने सम्बन्धी गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार किया, जिसके अनुसार अब "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" भवन का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ भवन" होगा।**
	4.	कार्यपरिषद ने श्रीमती कमला श्रीवास्तव द्वारा प्रो0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवेदन पत्र दिनांक 12.10. 2017 जो स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इस हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) जमा कराने हेतु सम्बन्धित को पत्र निर्गत कर दिया जाय।**

प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष